न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(आनन्दी लाल वैष्णव,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 24/2019
प्रविष्टि दिनांक 15.07.2019

दुर्गालाल उर्फ पप्पू पुत्र रामकिशन जाति कुमावत निवासी रामथला तहसील देवली जिला टोंक राज0

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार नासिरदा जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार नासिरदा दिनांक 12.07.2019 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री शिवराज टांडी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

<u>निर्णय</u> दिनांक 10.10.2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नासिरदा ने अपने आदेश दिनांक 12.07.2019 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 1328 रकबा 0.08 है0 किस्म गै.मु.रास्ता वाके ग्राम रामथला पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 30 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार नासिरदा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है ओर न ही अपीलान्ट की प्रोपर तामील करवाई है। निर्णय एक पक्षीय पारित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवंश गलत रिपोर्ट अपीलांट के खिलाफ की है। अपीलांट को जो नोटिस तामिल हुआ है वह अपूर्ण है और न ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से अपीलांट को जिरह का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट द्वारा किसी भी राजकीय

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक 836

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

भूमि अथवा गै.मु. भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है ओर न ही अपीलांट का किसी राजकीय भूमि अथवा गै.मु. रास्ते से कोई सम्बन्ध है। नायब तहसीलदार नासिरदा की मौका रिपोर्ट से भी जाहिर है कि अपीलांट ने अपना कब्जा/अतिक्रमण हटा लिया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी गै. मु. रास्ते पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना अतिक्रमण होना स्वीकार किया है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1328 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम रामथला तहसील देवली पर जोत,डोल एंव तार लगाकर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। नायब तहसीलदार नासिरदा के पत्र कमांक 480 दिनांक 17.07.2019 से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलांट ने अपना कब्जा/अतिक्रमण हटा लिया है,परन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर दिनांक 03.07.2019 को मौके पर से अतिक्रमण हटाया गया,परन्तु अपीलांट द्वारा पुनः दिनांक 04.07.2019 को अतिक्रमण कर लिया इससे जाहिर है कि अपीलांट बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। विवादित भूमि गै.मु. रास्ता है जो सार्वजनिक उपयोग एवं हित की भूमि है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट व प्रार्थना पत्र स्थगन अस्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.07.2019 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(आनन्दी लाल वैष्णव)
अति.जिला कलेक्टर, टोक

Scanned by CamScanner